



प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,

संयुक्त सचिव,

उOप्रO शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1

लखनऊ::दिनांक 25 फरवरी, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संO-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से अयोध्या मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 33 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मुO-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अयोध्या मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 33 मार्गों के चालू कार्यों हेतु तालिका-2 के अनुसार अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल ₹O 36,86,47,000/- (रुपये छत्तीस करोड़ छियासी लाख सैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संO-58 के लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

क्रOसंO	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
1	17750/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2025-26	14-11-2025
2	17846/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2025-26	17-11-2025
3	17990/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2025-26	25-11-2025
4	18059/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2025-26	28-11-2025
5	18284/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2025-26	18-12-2025
6	18350/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2025-26	20-12-2025
7	18555/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2025-26	06-01-2026
8	19006/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2025-26	27-01-2026
9	19045/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2025-26	28-01-2026
10	19103/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2025-26	29-01-2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

तालिका-2

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र० सं०	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रा.ख. बाराबंकी	कोठी औशानेश्वर हैदरगढ़ मार्ग (अ०जि०मा०) के चैनेज 0.000 से 7.824 तक सुदृढीकरण का कार्य।	666/2024/आई/8 16052/23-1-24/001-23-1002(002)/197/2024-दिनांक-06-12-2024	<u>867.96</u> <u>867.96</u> <u>457.00</u> <u>175.00</u> <u>692.96</u>	650.86	42.10	42.10
2	नि.ख.-4 अयोध्या	जनपद अयोध्या में खजुरहट मिल्कीपुर अमानीगंज रूदौली रौजागांव मार्ग (प्र०जि०मा० सं०-184ई) के चैनेज 14.000 से 23.200 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	736 /2024/आई/8360 05/23-1-24/001-23-1002(002)/204/2024-दिनांक-28-12-2024	<u>1867.62</u> <u>1867.62</u> <u>989.14</u> <u>261.82</u> <u>1605.80</u>	1505.63	100.17	57.30
3	प्रा.ख. अम्बेडकरनगर	जनपद अम्बेडकरनगर में महरूआ मिझौडा यादवनगर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	297 /2024/आई/7091 26/23-1-2024/001-23-1002(002)-138/2024-दिनांक-02-08-2024	<u>2492.29</u> <u>2492.29</u> <u>1400.22</u> <u>510.82</u> <u>1981.47</u>	1313.65	667.82	210.00
4	प्रा.ख. अम्बेडकरनगर	अकबरपुर गौहनिया मार्ग (अ०जि०मा०) के चैनेज 0.000 से 7.000 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	350/2024/154-आरएसएन/23-1-2024/001-05(एस)/आरएसएन-सीओएम/2024-दिनांक-24-08-2024	<u>796.73</u> <u>796.73</u> <u>455.25</u> <u>212.48</u> <u>584.25</u>	426.95	157.30	75.00
5	प्रा.ख. अमेठी	अमेठी किठावर अन्य जिला मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	93 /2024/आई/516897/23-1-24/001-23-1002(002)/52/2024-दिनांक-12-03-2024	<u>3619.55</u> <u>3619.55</u> <u>1887.54</u> <u>694.66</u> <u>2924.89</u>	2143.99	780.90	150.00
6	प्रा.ख. अमेठी	करथुनी लालगंज दादरा गाजपुर दूबरिया मार्ग के चैनेज 7.200 से 15.000 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	74 /2025/आई/868662/23-1-25/002-23-1002(002)/204/2024-दिनांक-31-01-2025	<u>1872.60</u> <u>1872.60</u> <u>918.70</u> <u>25.38</u> <u>1847.22</u>	1080.97	766.25	150.00
7	नि.ख.-3 बाराबंकी	टिकैतगंज बजगहनी सीतापुर बार्डर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 0.000 से 11.000 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	04 /2024/आई/461586/23-1-24/001-23-1002(002)/225/2023-दिनांक-03-01-2024	<u>3234.82</u> <u>3234.82</u> <u>1727.26</u> <u>682.41</u> <u>2552.41</u>	2418.06	134.35	80.61
8	नि.ख.-3 बाराबंकी	देवा में देवा सददीपुर मार्ग (अ०जि०जमा०) (लम्बाई 9.750	131 /2025/आई/9059	<u>2551.31</u> <u>2551.31</u> <u>1040.88</u>	1483.87	979.87	240.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्र० सं०	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावधि क/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		कि०मी० के कि०मी 0.000 से 9.750 तक में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	25/23-1-25/001-23-1002(002)/67/2025-दिनांक-12-03-2025	<u>87.57</u> <u>2463.74</u>			
9	प्रा.ख. सुल्तानपुर	बरोता पापरघाट के रामगढ़ तिराहे से नानीमऊ कछौआ भिटौरा होते हुए डियरा तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य। (परिवर्तित नाम मीरपुर सरैया नानेमऊ काछा भिटौरा मार्ग (अ०जि०मा०) के चैनैज 5.650 से 15.850 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य)	41 /2024/आई/4901 75/23-1-24/002-23-1002(002)/225/2023-दिनांक-08-02-2024	<u>2287.46</u> <u>2287.46</u> <u>1041.85</u> <u>373.20</u> <u>1914.26</u>	1297.84	616.42	246.56
10	प्रा.ख. अयोध्या	जनपद अयोध्या में नेतवारी केशरूवा ऐमीघाट तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	736 /2024/आई/8360 05/23-1-24/001-23-1002(002)/204/2024-दिनांक-28-12-2024	<u>1267.99</u> <u>1267.99</u> <u>880.00</u> <u>27.46</u> <u>1240.53</u>	995.76	244.77	109.64
11	प्रा.ख. अयोध्या	दशरथपुर गयासपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	121/2025/आई/8 94682/23-1-25/002-23-1002(002)/28/2025-दिनांक-28-02-2025	<u>1744.78</u> <u>1744.78</u> <u>755.75</u> <u>5.00</u> <u>1739.78</u>	1202.01	537.77	270.46
12	प्रा.ख. अयोध्या	जनपद अयोध्या में अयोध्या प्रयागराज मार्ग से निकलने वाले एयरपोर्ट मार्ग के दायें से निकलकर मेडिकल कालेज एवं एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 से 4 लेन मार्ग का निर्माण कार्य।	181 /2025/आई/9233 58/23-1-25/001-23-1002(002)/98/2025-दिनांक-29-03-2025	<u>5413.00</u> <u>5413.00</u> <u>1270.66</u> <u>5.00</u> <u>5408.00</u>	1786.57	3621.43	568.20
13	प्रा.ख. अमेठी	नेवादा गाजनपुर दुबरिया पूरे पहलवान पलिया मुसाफिरखान मार्ग के चैनैज 5.800 से 6.000 एवं चैनैज 10.300 से चैनैज 11.600 तक में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	74 /2025/आई/8686 62/23-1-25/002-23-1002(002)/204/2024-दिनांक-31-01-2025	<u>1137.71</u> <u>1137.71</u> <u>317.14</u> <u>40.96</u> <u>1096.75</u>	700.03	396.72	205.12
14	नि.ख.-4 अयोध्या	देवकली सम्पर्क मार्ग से रमानपुर होते हुए डेमावैश्य तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	500/2024/198-आरएसएन/001/05(बी)/आरएसएन-सीओएम-मिल्कीपुर/2024-दिनांक-01-10-2024	<u>87.71</u> <u>87.71</u> <u>28.45</u> <u>13.93</u> <u>73.78</u>	61.40	12.38	6.44

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र० सं०	खण्ड/जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावधि क/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
15	प्रा.ख. अमेठी	राष्ट्रीय राज मार्ग 128 रायबरेली सुल्तानपुर मार्ग से साइंस कालेज, पूरे गंगाधर पाठक होते हुए राष्ट्रीय राज मार्ग 931 गौरीगंज प्रतापगढ़ मार्ग तक शहरी क्षेत्र में बाईपास मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	59 /2024/503480/23-1-24/001-23-1002 (002)/34 /2024 -दिनांक-23-02-2024	<u>1047.66</u> <u>1047.66</u> <u>363.28</u> <u>197.15</u> <u>850.51</u>	651.84	198.67	40.00
16	प्रा.ख. बाराबंकी	मोहम्मदपुर सिद्धौर कैसरगंज मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	736 /2024/आई/8360 05/23-1-24 /001-23-1002(002)/204/20 24 -दिनांक-28-12-2024	<u>1669.13</u> <u>1641.44</u> <u>835.00</u> <u>368.90</u> <u>1272.54</u>	907.19	365.35	196.81
17	प्रा.ख. बाराबंकी	छत्तौरा कोठी धौरहरा मंगलपुर गुरुदत्तखेड़ा मार्ग(अजिमा) के कि०मी० 11, 12, 13 एवं 14 में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	93 /2025/आई/8767 56/23-1-25/001-23-1002(002)/28/202 5 दिनांक 10.02.2025-दिनांक-10-02-2025	<u>792.39</u> <u>770.21</u> <u>392.20</u> <u>150.00</u> <u>620.21</u>	537.39	82.82	72.88
18	प्रा.ख. अयोध्या	विकास खण्ड मया में अंकारीपुर मार्ग से मझगवां होते हुये आनापुर सरैया तक मार्ग का निर्माण कार्य।	352/2021/740 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टी०सी०-दिनांक-17-12-2021	<u>182.94</u> <u>182.94</u> <u>117.28</u> <u>0.33</u> <u>182.61</u>	175.56	7.05	7.05
19	प्रा.ख. अयोध्या	विकास खण्ड मया में वीरमपुर ककरहा पक्की सड़क से कुम्हिया होते हुये मया तक मार्ग निर्माण।	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी-दिनांक-07-01-2022	<u>330.09</u> <u>315.66</u> <u>247.65</u> <u>0.54</u> <u>315.12</u>	308.06	7.06	7.06
20	प्रा.ख. अयोध्या	पुरैनी से बनमानुष का पुरवा, जोगापुर, राजापुर सरैया होते हुये देवरा दाउदपुर तक मार्ग का निर्माण।	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी-दिनांक-07-01-2022	<u>347.78</u> <u>339.56</u> <u>238.04</u> <u>0.52</u> <u>339.04</u>	331.45	7.59	7.59
21	प्रा.ख. अयोध्या	बंदनपुर उत्तरेथू सम्पर्क मार्ग पर संग्राम दूवे का पुरवा राम नयन के घर से रेवरी जगदीशपुर गोदमवा होते हुये भितौरा (महबूबगंज गोसाईगंज सम्पर्क मार्ग) तक मार्ग का नवनिर्माण।	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी-दिनांक-07-01-2022	<u>331.48</u> <u>331.48</u> <u>195.10</u> <u>0.50</u> <u>330.98</u>	309.95	21.03	21.03
22	प्रा.ख. अयोध्या	विकास खण्ड तारून में तारून नन्सा मार्ग पर करनाईपुर	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20	<u>515.71</u> <u>491.85</u> <u>350.54</u>	488.35	3.30	3.30

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र० सं०	खण्ड/जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावधि क/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		पकडिया होते हुये सोनौरा गाउपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण का कार्य	टीसी-दिनांक-07-01-2022	<u>0.20</u> <u>491.65</u>			
23	प्रा.ख. अयोध्या	अशर्फी भवन से गोलाघाट तुलसी उद्यान मार्ग का सुदृढीकरण का कार्य।	44/2021/203 रासनि/23-1-20-71 रासनि/20-दिनांक-07-02-2021	<u>292.24</u> <u>292.24</u> <u>226.38</u> <u>0.00</u> <u>292.24</u>	277.41	14.83	14.83
24	प्रा.ख. अयोध्या	राम सहायक का पुरवा सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0 निर्माण कार्य।	44/2021/203 रासनि/23-1-20-71 रासनि/20-दिनांक-07-02-2021	<u>56.50</u> <u>56.50</u> <u>39.71</u> <u>0.60</u> <u>55.90</u>	55.80	0.10	0.10
25	नि.ख.-3 सुल्तानपुर	एन0एच0-731 किमी 101 से पूरे गजाधर से धारुपुर सम्पर्क मार्ग।	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20-टीसी-दिनांक-07-01-2022	<u>216.17</u> <u>216.17</u> <u>117.88</u> <u>1.67</u> <u>214.50</u>	208.35	6.15	6.15
26	नि.ख.-3 सुल्तानपुर	प्रा0पा0 सरकेन्डेडीह से दहलवा लाला का पुरवा सम्पर्क मार्ग।	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20-टीसी-दिनांक-07-01-2022	<u>200.95</u> <u>200.95</u> <u>105.30</u> <u>1.39</u> <u>199.56</u>	193.97	5.59	5.59
27	नि.ख.-4 अयोध्या	जाखा बरहरा उमरनी शेखनपुर के किमी0-3 से अहिरन का पुरवा होते हुये नउवन का पुरवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	500/2024/198-आरएसएन/001/05(बी)/आरएसएन-सीओएम-मिल्कीपुर/2024 - दिनांक-01-10-2024	<u>180.45</u> <u>180.45</u> <u>83.61</u> <u>39.33</u> <u>141.12</u>	126.32	14.80	2.47
28	नि.ख.-1 बाराबंकी	टिकैतनगर बाईपास का निर्माण कार्य	100/2024/आई/519988/23-1-24/001-23-1002(002)/46/2024 -दिनांक-14-03-2024	<u>2263.58</u> <u>2263.58</u> <u>565.18</u> <u>232.09</u> <u>2031.49</u>	1215.22	816.27	135.00
29	प्रा.ख. अयोध्या	जनपद अयोध्या में फैजाबाद शाखा के चैनेज 53.840 (रायबरेली मार्ग) से चैनेज 56.260 (अयोध्या प्रयागराज मार्ग) तक दोनों पटरियों पर 7.00 मी0 चैड़ाई में मार्ग निर्माण का कार्य।	292/2025/आई/1013015/23-1-25/001-23-1002(002)/140/2025-दिनांक-03-07-2025	<u>2392.28</u> <u>2392.28</u> <u>748.81</u> <u>5.17</u> <u>2387.11</u>	467.64	1919.47	540.03
30	प्रा.ख. अमेठी	बरौलिया मानमतीपुर मार्ग से मधुकहर होते हुये पूरे दर्जन	481/2025/आई/1120978/23-1-25/003-23-	<u>55.07</u> <u>55.07</u> <u>39.40</u> <u>0.06</u>	5.13	49.88	47.13

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र० सं०	खण्ड/जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावधि क/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	1002(002)/240/2025 -दिनांक-17-10-2025	<u>55.01</u>			
31	प्रा.ख. अमेठी	मथुरा सोनार का पुरवा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	481 /2025/आई/1120 978/23-1-25/003-23-1002(002)/240/2025 -दिनांक-17-10-2025	<u>74.62</u> <u>74.62</u> <u>53.42</u> <u>0.07</u> <u>74.55</u>	6.95	67.60	63.87
32	प्रा.ख. अमेठी	बस्ती देई भवानी के आगे पेन्टेड सड़क से बिहारीगंज मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	481 /2025/आई/1120 978/23-1-25/003-23-1002(002)/240/2025 -दिनांक-17-10-2025	<u>55.02</u> <u>55.02</u> <u>38.25</u> <u>0.05</u> <u>54.97</u>	5.12	49.85	47.10
33	प्रा.ख. अमेठी	चिलबिली भटगवां मार्ग से बीएड कालेज होते हुए बेनीपुर बलदेव सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	502 /2025/आई/1126 445/23-1-25/006-23-1002(002)/240/2025 -दिनांक-29-10-2025	<u>66.75</u> <u>66.75</u> <u>51.21</u> <u>0.15</u> <u>66.60</u>	6.22	60.38	57.05
कुल योग-							3686.47

- (1) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यो के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।
- (2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।
- (5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।
- (6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय कुल **रु० 36,86,47,000/- (रुपये छत्तीस करोड़ छियासी लाख सैंतालीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढीकरण/ चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- 4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
- 5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
- 6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
- 9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
- 11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।